



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 19, बुधवार, शाके 1940-जनवरी 9, 2019  
Pausa 19, Wednesday, Saka 1940-January 9, 2019

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये  
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग  
अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 8, 2019

एस. ओ. 229 :- गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (2) संपठित उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 23 (2) चिकि. एवं स्वा./गुप-3/2003/पार्ट दिनांक 01-07-2003, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[संख्या प.23(2) चिस्वा/गुप-3/2014 पार्ट]  
राज्यपाल की आज्ञा से

अजय असवाल  
संयुक्त शासन सचिव।